

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937

No. 653]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015/CHAITRA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

का.आ. 874(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 के उप खंड-(i) में दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2392(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (i) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कॉलम सं. 5 (प्लॉट/सर्वेक्षण सं./खसरा सं.) प्रविष्टि '2532' के सामने कॉलम सं. 3 (तालुक का नाम) 'पुरुलिया मुफासिल' और कॉलम सं. 4 (गांव का नाम) 'सुरुलिया' में प्रविष्टि को कॉलम सं. '3' में 'पुरुलिया-I' तथा कॉलम सं. '4' में 'पुरुलिया' प्रविष्टियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के अंतर्गत पैरा को "पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60ए के कि.मी. 33.700 से कि.मी. 83.397 (बांकुरा-पुरुलिया खंड) तक भूमि के खंड में पड़ने वाली संरचना के साथ या बगैर अधिकृत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण" पाठ के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2392(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-1213/11/5/2010/एसपी (बी/6)पी-9]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2015

S.O. 874(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 2392(E), dt. 12th September, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-Section (i) dated 12th September, 2014 namely:—

(i) The entry in column No. '3' (Name of the Taluk) 'Purulia Muffasil' and column No. '4' (Name of the Village) 'Surulia', against entry '2532' column No. '5' (Plot/ Survey No./Khasra number) shall be substituted by the entries 'Purulia –I' in column No. '3' and 'Purulia' in column No. '4' in the schedule to the said notification.

(ii) The para under the SCHEDULE annexed to the said notification shall be substituted with the text "Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 33.700 to km. 83.397 (Bankura–Purulia Section) of the National Highway No. 60A in the State of West Bengal."

Foot Note:—The principal notification was published *vide* S.O. 2392(E), dated the 12th September, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii).

[F. No. RW/NH-1213/11/5/2010/SP(B/6)P-9]

MAYA PRAKASH, Director